



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16122025-268561
CG-DL-E-16122025-268561

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5620]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 16, 2025/अग्रहायण 25, 1947

No. 5620]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 16, 2025/AGRAHAYANA 25, 1947

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5815(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के बाराबंकी जिले में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पैकेज-V के कि.मी. 140.96 से कि.मी. 160.200 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेब्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अध्यासि अधिकारी, बाराबंकी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या

किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के बाराबंकी जिले में NH227B के कि.मी. 140.960 से कि.मी.160.200 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: बाराबंकी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: रामसनेहीघाट					
गांव का नाम: बरहुंवा					
1	734	सरकारी	चकमार्ग	0.11 (हेक्टेयर)	0.11
2	777	निजी	कृषि	0.0013 (हेक्टेयर)	0.0013
3	779	निजी	कृषि	0.034 (हेक्टेयर)	0.034
गांव का नाम: पूरे कामगार					
4	72	सरकारी	चकमार्ग	0.0062 (हेक्टेयर)	0.0062
5	8	सरकारी	चकमार्ग	0.019 (हेक्टेयर)	0.019
6	80	निजी	कृषि	0.0301 (हेक्टेयर)	0.0301
7	9	निजी	कृषि	0.0652 (हेक्टेयर)	0.0652
गांव का नाम: अलियाबाद					
8	646	निजी	कृषि	0.0008 (हेक्टेयर)	0.0008
गांव का नाम: कमियार					
9	2166	सरकारी	नदी	2.5156 (हेक्टेयर)	2.5156
गांव का नाम: चांदामऊ					
10	62	सरकारी	चकमार्ग	0.0095 (हेक्टेयर)	0.0095

गांव का नाम: बेलखरा महफूज					
11	682	सरकारी	बंजर	0.029 (हेक्टेयर)	0.029
गांव का नाम: बेलखरा सैलाब					
12	1095	निजी	कृषि	0.0644 (हेक्टेयर)	0.0644
Total					2.8851

[फा. सं. RO-LKO-NH(O)-NH-227B-2021-22/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2025

S.O. 5815(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for Construction (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of **84 kosi Parikarma Marg PKG-V NH227B in the stretch of land from Km. 140.960 to Km. 160.200** in the district of BARABANKI in the state of UTTAR PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, **Special Land Acquisition Officer, Barabanki** in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH227B in the stretch of land from Km. 140.960 to Km. 160.200 in the district of BARABANKI in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH		District: BARABANKI			
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Ramsanehigat					
Village: BARHUWAN					
1	734	Government	CHAKMARG	0.11 (Hectare)	0.11
2	777	Private	AGRICULTURE	0.0013 (Hectare)	0.0013
3	779	Private	Agriculture	0.034 (Hectare)	0.034
Village: Pure Kamgar					
4	72	Government	CHAKMARG	0.0062 (Hectare)	0.0062

5	8	Government	CHAKMARG	0.019 (Hectare)	0.019
6	80	Private	Agriculture	0.0301 (Hectare)	0.0301
7	9	Private	Agriculture	0.0652 (Hectare)	0.0652
Village: Aliabad					
8	646	Private	Agriculture	0.0008 (Hectare)	0.0008
Village: Kamiyar					
9	2166	Government	River	2.5156 (Hectare)	2.5156
Village: Chandamau					
10	62	Government	CHAKMARG	0.0095 (Hectare)	0.0095
Village: Belkhara Mehfuz					
11	682	Government	Banjar	0.029 (Hectare)	0.029
Village: Belkhara Sailab					
12	1095	Private	Agriculture	0.0644 (Hectare)	0.0644
					Total 2.8851

[F. No. RO-LKO-NH(O)-NH-227B-2021-22/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director